न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/37/2025	2025/159	21.05.2025	21.05.2025

1. नत्थो पुत्री व पत्नी रामसिंह जाति नट (कंजर) निवासी चौकीका बास, चौकी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़
आदेश दि0 01.05.2025

उपस्थितः—
01—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा निर्णय दिनांक 01.05.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 01.05.2025 विधि विरुद्ध, न्यायिक प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है और अन्दर मियाद है। अपीलांट ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.नं. 430 रकबा 51 ऐयर, 432 रकबा 19 ऐयर वाके ग्राम चौकी की पैमाईश हेतु न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ में दिनांक 22.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ने जिस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार रामगढ़ ने पटवारी हल्का को जांच हेतु भेज दिया। पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिनांक 28.04.2025 में ख.नं. 432 में आबादी बसी होना व 430 को खाली होना तथा उक्त भूमि पर कब्जा सम्बन्धी विवाद होने के कारण। सीमाज्ञान कराया जाना सम्भव नहीं होना अंकित किया है। पटवारी हल्का ने दैनिक डायरी दिनांक 28.04.2025 में ख.नं. 430 पर अपीलांट का कब्जा नहीं होकर दीगर व्यक्तियों का कब्जा होना बताया जो जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तहसीलदार रामगढ़ को भेजी है उसमें इसे मौके पर खाली होना बताया है जो दोनों रिपोर्ट आपस में विरोधाभासी है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट अपीलांट को बिना सुने उसकी गैरमौजूदगी में दीगर व्यक्तियों के प्रभाव में आकर प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैरमौजूदगी में प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो गैरकानूनी है जबकि सूचना देकर अपीलांट को सुनना चाहिए।

पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट में दीगर कौन व्यक्ति है ख. नं. 430 में जिसका कब्जा है नाम अंकित नहीं किया है। ख.नं. 432 में आबादी बसा होना बताया है किस व्यक्ति के मकानात बने है उनका भी नाम जांच रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलांट ने अपनी आराजी में होने वाली फसल, खाद, बीज, हल, ट्रेक्टर रखने व बरसात से बचने के लिए अपीलांट व उसके पुत्रों ने अपनी कृषि भूमि के 1/50 हिस्से में मकान बनाये हैं। ख.नं. 430 व 432 में दीगर व्यक्तियों का ना तो कब्जा है और ना ही मकानात है और ना ही आबादी बसी हुई है। पटवारी हल्का ने दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का व अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की पैमाइश व सीमाज्ञान नहीं करना चाहते हैं जबकि अपीलान्ट पैमाइश फीस राजस्व

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कार्यालय अधिनस्थ न्यायालय में जमा कराने तथा अन्य खर्चा अदा करने को तैयार है। विवादित आराजी पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई वाद लम्बित है। पटवारी हल्का ने दैनिक डायरी दिनांक 28.04.2025 में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये हुए हैं वो ग्राम चौकी के निवासी नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 01.05.2025 को निरस्त किया जाये और तहसीलदार रामगढ को आदेश दिया जाये कि वो पैमाईश फीस खर्चा राशि अपीलांट से प्राप्त कर आराजी ख.नं. 430, 432 वाके ग्राम चौकी की पैमाइश कर सीमांकन करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपी0 की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का पीपरोली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है कि विवादित आराजी एकल खातेदारी भूमि है। कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवादित खसरा नंबर 432 में आबादी बसा होना व 430 वर्तमान में खाली होना अवगत कराया है। साथ ही भूमि पर कब्जा संबंधी विवाद होना अवगत कराते हुए सीमाज्ञान किया जाना असंभव बताया है। पटवारी हल्का की दैनिक डायरी दिनांक 28.04.2025 वार सोमवार में विवादित आराजी के संबंध में खसरा नंबर 430 पर प्रार्थीया का कब्जा ना होकर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा–काश्त अंकित किया है। खसरा नंबर 432 पर मकान बने हुए व आस–पास आबादी बसी होना अंकित किया है। खसरा नंबर 430 के क्रम में सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र पर व दैनिक डायरी पर अंकित रिपोर्ट विराधाभाषी है। अपीलाण्ट नत्थो नट (कंजर) जाति से है जो अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 430 पर पटवारी द्वारा अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को उक्त प्रकरण को अंतर्गत धारा 183–बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलाण्ट की अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि के संबंध में नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना था एवं दैनिक डायरी में पटवारी द्वारा वर्तमान में खसरा नंबर 432 पर किसी प्रकार का भूमि संबंधी विवाद होना अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट की आराजी का सीमाज्ञान या पैमाईश कराना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान निरस्त किया गया है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान दिनांक 22.04.2025 के क्रम में पैमाईश फीस खर्चा राशि अपीलांट से प्राप्त कर आराजी ख.नं. 430, 432 वाके ग्राम चौकी की पैमाइश कर सीमांकन किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)